न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 111/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

पनाराम बनाम शंकरदान वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – श्री जगदीश पोटलिया

निर्णय दिनांक – **08.06.2018**

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प साता में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा अम्बावा, पटवार क्षेत्र तड़ला, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 280/222 रकबा 60.04 बीघा, खसरा सं. 281/222 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 282/222 रकबा18.00 बीघा एवं मौजा तरला के खसरा सं. 15 रकबा 45.00 बीघा, खसरा सं. 17 रकबा 02.13 बीघा, खसरा सं. 93 रकबा 00.01 बीघा, खसरा सं. 94 रकबा 48.12 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा अम्बावा, पटवार क्षेत्र तड़ला, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 280/222 रकबा 60.04 बीघा, खसरा सं. 281/222 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 282/222 रकबा18.00 बीघा एवं मौजा तरला के खसरा सं. 15 रकबा 45.00 बीघा, खसरा सं. 17 रकबा 02.13 बीघा, खसरा सं. 93 रकबा 00.01 बीघा, खसरा सं. 94 रकबा 48.12 बीघाा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । नेखगबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प साता में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी,चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/1507 दिनांक 27/6/18

प्रार्थीगण :-

1.पनाराम पुत्र बालाराम
एवं प्रार्थी सं. 2 से 43
जाति कुम्हार, निवासी अम्बावा
तहसील सेड़वा

विप्रार्थीगण:-

1.शंकरदान पुत्र दयारामदान 2.खेतदान 3.उमदान 4.निम्बदान पि.भेरदान 5.शंकरदान 6.हिन्दूदान पि. चालकदान जाति चारण, निवासी अम्बावा 7.सवा पुत्र लाखा 8.सेदा पुत्र हमीरा 9.करसन पुत्र सामथी , जाति रबारी 10.गोमा पुत्र लाला जाति कोली 11.भेरा 12.शेरा पि.जेठा जाति कुम्हार 13.वीरा पुत्र भीखा 14.रामलाल पुत्र दुर्गा, जाति जाट, निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 111/2018 दिनांक : 08.06.2018

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र तरला के मौजा अम्बावा के खेत **खसरा सं. 280/222 रकबा 60.04 बीघा, खसरा सं. 281/222 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 282/222 रकबा18.00 बीघा एवं मौजा तरला के खसरा सं. 15 रकबा 45.00 बीघा, खसरा सं. 17 रकबा 02.13 बीघा, खसरा सं. 93 रकबा 00.01 बीघा, खसरा सं. 94 रकबा 48.12 बीघा** भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे| नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नही किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे |

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चोहटन

क्रमांक/भू.अ./2018/1508 to 1511 दिनांक 27/6/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थीगण पनाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण शंकरदान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड्वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी
चोहटन